भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3081

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

केंद्र सरकार के आवास आवंटन में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण

†3081. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगजन केंद्र सरकार आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए प्रतिवर्ष आरक्षण का लाभ कितने लाभार्थियों को मिलने का अनुमान है और इस आरक्षण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या नीति लागू करने से पहले कोई डेटा संकलित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्य-वार कार्यान्वयन संरचना तैयार की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सुगम्य भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुसार अवसंरचना के उन्नयन/बदलाव के लिए अनुमानित वित्तीय व्यय कितना है; और

(ङ) विगत कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बिहार सहित देश में दिव्यांगजन कोटे के अंतर्गत संभवतः लंबित मामलों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) संपदा निदेशालय के पास लाभार्थियों की अनुमानित संख्या से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

संपदा निदेशालय केवल केंद्र सरकार सामान्य पूल आवासीय आवास (सीजीजीपीआरए), नियम, 2017 के अंतर्गत केंद्र सरकार कार्यालयों के पात्र कार्मिकों को सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) आवंटित करना है। ये नियम https://esampada.mohua.gov.in/signin/act_rules पर उपलब्ध हैं।

संपदा निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12035/9/2025-Pol.II दिनांक 22.05.2025 के अनुसार, "आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 में निर्दिष्ट, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले पात्र केंद्रीय सरकारी कार्मिकों को जीपीआरए के आवंटन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जो सामान्य पूल के प्रत्येक टाइप (केवल टाइप V तक, होस्टल सहित) में एक महीने में उपलब्ध रिक्तियों के 4% तक होगी।" कार्यालय ज्ञापन https://esampada.mohua.gov.in/signin/Circulars पर उपलब्ध है।

*****